न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 164 / 2020 पृ० पत्र

1. श्री मोती लाल पि० कस्तूर जाट नि० लाडवास-हल्का करेड़ा

––प्रार्थी।

बनाम

1. श्री शंकर लाल व मिट्ठू लाल शर्मा नि० लाडवास-हल्का करेड़ा – करेड़ा

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांक: 19/10/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि01956 के ा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास ०नि० क्षेत्र करेड़ा में उनके खाता संख्या 506 की आ०नं० 3089 रकबा 8.15 बीघा, स्थित है। ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा ी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/10/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से रगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की –फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास भू०अ०नि० क्षेत्र करेड़ा में उनके खाता या 506 की आ०नं० 3089 रकबा 8.15 बीघा/ भूमि स्थित है। ा के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि० करेड़ा को 800/–/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर ा प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल [illegible] पत्थरगढी की जावें। फसल ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

ंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 15:38:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

ोलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)